संख्याः 189 /USDMA/792(2020) TC

548

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए., **देहरादून, दिनांकः** 7 **जून, 2021**

विषयः **कोविड–19 संक्रमण के नियंत्रण हेतु जारी (Covid Curfew) दिशा निर्देशों में संशोधन के सम्बन्ध में।**

महोदया/ महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि वर्तमान में कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश संख्या– 186/USDMA/792 (2020) दिनांक 06 जून, 2021 के निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है–

1. **<u>प्रस्तर संख्या 14.D के बिन्दु संख्या–iv:–</u>**

   खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा, रेडिमेड (एकल रूप में), दर्जी की दुकानें, ड्राई क्लीनर्स, चश्में की दुकानें, साईकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्टस की दुकानें, **क्रॉकरी (बर्तन) की दुकानें, हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर/वेब डिजाईनिंग, हार्डवेयर पेन्ट्स/सैनिटरी, स्टोन (Marbale& chips), कारपेन्टर्स, फर्नीचर एवं टिम्बर मर्चेन्ट्स की दुकानें दिनांकः 08 जून, 2021 (मंगलवार)** एवं 11 जून 2021 (शुक्रवार) को प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी।

2. **<u>प्रस्तर संख्या 14.E के बिन्दु संख्या–viii:–</u>**

   सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर/रिटलेर दुकानों के गोदामों में सामान की लोड करने/उतारने की **दैनिक रूप से (24x7)** अनुमति है।

भवदीय,
Omprakash
7.6.21
(ओम प्रकाश, IAS)
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

549

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, आपदा प्रबन्धन विभाग।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
8. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,

7/6/2021

(एस0 ए0 मुरूगेशन, IAS)
सचिव

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए. देहरादून, दिनांक : 08 जून, 2021

विषयः कोविड–19 के संक्रमण के नियत्रंण हेतु 'COVID - Curfew' के सम्बन्ध में संशोधित आदेश।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वर्तमान में कोविड–19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी के दृष्टिगत निम्नानुसार आदेश जारी किया जा रहा है–

1. पूर्व में जारी आदेश संख्याः 189 /USDMA/792(2020), दिनांक 07 जून, 2021 को तदनुसार निरस्त किया जाता है।
2. पूर्व में जारी आदेश संख्याः 186/USDMA/792 (2020) दिनांक 06 जून, 2021 के बिन्दु संख्या–7 को बिन्दु संख्या 14.D में सम्मिलित कर, बिन्दु संख्या 14.E (i & ii) एवं (viii) में संशोधन करते हुए निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाती है–

14.D. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:

i. समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) **दिनांकः 09, 11 एवं 14 जून, 2021 (क्रमशः बुधवार, शुक्रवार एवं सोमवार)** को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक खुले रहेंगे, परन्तु समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, बार आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।

ii. COVID curfew अवधि में दिनांक 12 एवं 13 जून, 2021 (शनिवार एवं रविवार) को नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़–भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें।

iii. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर–राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है।

ii. सार्वजनिक परिवहन का अंतर–राज्यीय आवागमन 100% capacity के साथ राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा।

iii. सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर/रिटलेर दुकानों को गोदामों में सामान की लोड करने/उतारने की दैनिक रूप से (24x7) अनुमति है।

पूर्व में जारी आदेश संख्याः 186/USDMA/792 (2020) दिनांक 06 जून, 2021 में दिये गये शेष दिशा–निर्देश यथावत रहेंगे।

अतः उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

यह आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

OmPrakash
8.6.21

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबंधन।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
8. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,

8/6/2021

(एस0ए0 मुरूगेशन)
सचिव